



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092022-239203
CG-DL-E-29092022-239203

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4377]
No. 4377]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ASVINA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2022

का.आ. 4567(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) तथा धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 26 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“26	(क) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन-संनिर्माण और क्रियात्मक सुरक्षा अपेक्षाएं	एआईएस-038 (रेव. 1)/2015, समय-समय पर यथा-संशोधित मानक	1 अक्टूबर, 2016 और 26(ख) तथा 26(ग) के क्रियान्वयन की तारीख तक वैध
	(ख) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं	एआईएस- 038 (रेव. 2)/2020, समय-समय पर यथा- संशोधित मानक	1 दिसंबर, 2022 बशर्ते कि 31 मार्च 2023 से एआईएस-038 (रेव. 2) के अनुबंध IX-ट की खंड संख्या 1,2,5,8,10 लागू होगी।
	(ग)एल प्रवर्ग इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं	एआईएस-156/2020, समय-समय पर यथा-संशोधित मानक	1 दिसंबर 2022 बशर्ते कि 31 मार्च 2023 से एआईएस-156 के अनुबंध 8ट की खंड संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 11 और खंड संख्या 6.1.1, 6.1.2.2, 6.1.3 (ड.) (भूमि में रिसाव का पता लगाने), 6.11 लागू होगी। "

[फा. सं. आरटी-11036/60/2022-एमवीएल(भाग-1)]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव,

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4143(अ), तारीख 2 सितंबर, 2022 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2022

S.O. 4567(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of subsection (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E) dated 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 26, the following shall be substituted, namely:-

In the said notification, in the Table, for serial number 26, the following shall be substituted, namely:-

“26	a. Electric Power Train Vehicles- Construction and Functional Safety Requirements.	AIS-038 (Rev.1)/2015 as amended from time to time.	1 st October, 2016 and valid upto date of implementation of 26(b) and 26(c)
	b. Specific Requirements for Electric Power Train Vehicles	AIS-038 (Rev.2)/2020 as amended from time to time.	1 st December 2022 Provided that clause

			Nos. 1, 2, 5, 8, 10 of Annexure IX-K of AIS-038 (Rev.2) shall be applicable from 31 st March 2023.
	c. Specific Requirements for L Category Electric Power Train Vehicles	AIS-156/2020 as amended from time to time.	1 st December 2022 Provided that Clause Nos. 1, 2, 4, 5, 6, 11 of Annexure 8K and clause Nos. 6.1.1, 6.1.2.2, 6.1.3(e) (Earth leakage detection), 6.11 of AIS-156 shall be applicable from 31 st March 2023.”

[F. No. No. RT-11036/60/2022-MVL(part-1)]
Mahmood Ahmed, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and last amended vide notification number S.O. 4143(E), dated the 2nd September, 2022.